संख्या–975 / पॉच–9–2015

प्रेषक,

अरविन्द नारायण मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 04 अगस्त, 2015

विषयः– उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली–2015 के अन्तर्गत लाभार्थी महिलाओं को प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों / चिकित्सा संस्थानों में उपचार सम्बन्धी रेफरल रिपोर्ट प्रोसेसफ्लो एवं मेडिकोलीगल रिपोर्ट प्रोसेसफ्लो के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने संख्या–11फ / रा0ल0बा0 / 2015 / 3412 दिनांक 12–06–2015 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त सम्बन्धित को इस आशय के निर्देश जारी कर दिये जाये कि उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली–2015 के अन्तर्गत लाभार्थी महिलाओं को प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों / चिकित्सा संस्थानों में उपचार सम्बन्धी रेफरल रिपोर्ट प्रोसेसफ्लो एवं मेडिकोलीगल रिपोर्ट प्रोसेसफ्लो के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :–

(क) रेफरल रिपोर्ट–प्रोसेस फ्लो

- महिला सम्मान कोष से आच्छादित लाभार्थी महिला (महिला सम्मान कोष से आच्छादित पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर) किसी भी राजकीय चिकित्सालय में महिला सम्मान कोष नियमावली के अन्तर्गत अपना उपचार करा सकती है, जो कि निःशुल्क होगा।
- प्रत्येक चिकित्सा इकाईयों पर "उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष" की स्टैम्प ओ0पी0डी0 रजिस्ट्रेशन काउण्टर एवं इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन पर लाभार्थी महिला के ओ0पी0डी0 / इमरजेंसी पर्चे पर लगायी जायेगी।

  उपरोक्त स्टैम्प चिकित्सा इकाई के प्रभारी द्वारा रोगी कल्याण समिति के कोष में उपलब्ध धनराशि द्वारा बनवाकर ओ0पी0डी0 रजिस्ट्रेशन काउण्टर, इमरजेंसी एवं आवश्यकतानुसार अन्य स्थानो पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- महिला के किसी पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 पर उपचार के लिए जाने पर वहॉ के चिकित्साधिकारी को महिला के उपचार के लिए उसे उच्च चिकित्सालय में सन्दर्भित करने की आवश्यकता प्रतीत होने पर, चिकित्साधिकारी द्वारा उस महिला को जनपदीय चिकित्सालय के लिए सन्दर्भित कर दिया जायेगा।

सन्दर्भित प्रति मरीज को उपलब्ध करायी जायेगी, जनपदीय चिकित्सालय में उपचार के लिए।

- सन्दर्भन प्रपत्रों पर "उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष" की स्टैम्प अंकित की जायेगी।
- जनपदीय चिकित्सालय को चिकित्साधिकारी को उपरोक्त महिला के उपचार के लिए यदि किसी विशेष जांच की आवश्यकता लगती है, जिसकी सुविधा उक्त चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है (इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पृथक से शासनादेश जारी किया जायेगा) तब चिकित्साधिकारी उस जांच के लिए जनपद में नामित निजी लैब से जांच कराने हेतु लाभार्थी महिला को सन्दर्भित कर सकता है। सन्दर्भन दो प्रतियों में किया जायेगा, एक प्रति लाभार्थी महिला को सन्दर्भन कर सकता है। सन्दर्भन दो प्रतियों में किया जायेगा, एक प्रति लाभार्थी महिला को जांच के लिए उपलब्ध करायी जायेगी तथा एक प्रति जनपदीय नोडल मेडिकल आफिसर को उपलब्ध करायी जायेगी।
- जनपदीय चिकित्सालय को चिकित्साधिकारी को उपरोक्त लाभार्थी महिला को उच्च चिकित्सा संस्थान में सन्दर्भन करने की आवश्यकता प्रतीत होने पर, चिकित्साधिकारी द्वारा दो सन्दर्भन प्रतियों में सन्दर्भन भर कर एक प्रति लाभार्थी महिला को उक्त सन्दर्भन चिकित्सा संस्थान में उपचार हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी।
- उपरोक्त सन्दर्भन प्रपत्रों पर "उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष" की स्टैम्प अंकित की जायेगी।
- उपरोक्त दोनो परिस्थितियो में दूसरी प्रति जनपदीय नोडल मेडिकल आफिसर को 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी। जनपदीय नोडल मेडिकल आफिसर को दोनो प्रकार की सन्दर्भन प्रति उपलब्ध कराने का दायित्व चिकित्सालय के सी0एम0एस0 का होगा।
- उपरोक्त सन्दर्भन प्रपत्रों को चिकित्सा इकाई के सी0एम0एस0/प्रभारी को अविलम्ब उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व उपचार करने वाले चिकित्सक का होगा।
- सन्दर्भन प्रति प्राप्त होने के उपरान्त जनपदीय नोडल मेडिकल अधिकारी द्वारा 24 घण्टे के अन्दर उक्त सन्दर्भन प्रति को महिला सम्मान कोष के वेब–पोर्टल के मेडिकल लागिन में अपलोड किया जायेगा।
- उपरोक्त प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा विभाग भी अपने अधीन राजकीय मेडिकल कालेजो/चिकित्सा संस्थानो में भी व्यवहरित किये जाने हेतु निर्देशित कर सकते है।

(ख) मेडिकोलीगल रिपोर्ट–प्रोसेस फ्लो

- पुलिस पीडिता को लेकर आयेगी और उसका मेडिकोलीगल परीक्षण करवायेगी।

- महिला सम्मान कोष से आच्छादित प्रकरणों में मेडिकोलीगल रिपोर्ट तीन प्रतियो में तैयार की जायेगी।
- उपरोक्त मेडिकोलीगल रिपोर्ट की प्रतियो पर ''उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष'' की स्टैम्प अंकित की जायेगी।
- मेडिकोलीगल परीक्षण के उपरान्त मेडिकल रिपोर्ट की एक कॉपी पुलिस को उपलब्ध करा दी जायेगी।
- परीक्षणोपरान्त मेडिकल रिपोर्ट की दूसरी कॉपी, 24 घण्टे के अन्दर नोडल मेडिकल आफिसर–महिला सम्मान कोष को उपलब्ध करायी जायेगी। इसे उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित चिकित्सालय के सी0एम0एस0/प्रभारी चिकित्साधिकारी का होगा।
- मेडिकोलीगल प्रपत्र की प्रति चिकित्सा इकाई के सी0एम0एस0/प्रभारी को अविलम्ब उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व मेडिकोलीगल करने वाले चिकित्सक का होगा।
- मेडिकोलीगल रिपोर्ट की तीसरी कापी परीक्षण करने वाले चिकित्सालय में पूर्ववत रखी जायेगी।
- मेडिकोलीगल रिपोर्ट की प्राप्त होने के उपरान्त 24 घण्टे के अन्दर जनपदीय नोडल मेडिकल आफिसर के द्वारा महिला सम्मान कोष के वेब–पोर्टल के मेडिकल लागिन में अपलोड किया जायेगा।
- उपरोक्त प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा विभाग भी अपने अधीन राजकीय मेडिकल कालेजो/चिकित्सा संस्थानों में भी व्यवहरित किये जाने हेतु निर्देशित कर सकते है।

भवदीय,

(अरविन्द नारायण मिश्र)
सचिव।

संख्या–976(1)/पॉच–9–2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– गार्डबुक।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।